

PROCEEDINGS BOOKS

A meeting of the Meerut Development Authority
Held on the 18.08.81 Day of
at 10:30 A.M. at

PRESENT

क्र०सं०	नाम	पद	हस्ताक्षर
1)	श्री आर. डी. सोनकर	आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल मेरठ	
2)	श्री शम्भु नाथ	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्रधिकरण	
3)	श्री एस. एम. नबी	अधिक्षण अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद	
4)	श्री नवीन चन्द्र शर्मा	प्रभारी अधिकारी नगर पालिका मेरठ	
5)	श्री पी.के. गोयल	सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	
6)	श्री सी.डी. माथुर	अधि.अभि. यू.पी. एस.ई.बी. मेरठ	
7)	श्री जे.पी. गुप्ता	अधि.अभि.जल विभाग मेरठ	
8)	श्रीमती प्रमिला उमा शंकर	उप सचिव आवास उ०प्र० शासन	

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रधिकरण के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे:

1)	श्री धर्मेन्द्र देव	सचिव, वि.प्रा०. मेरठ
2)	श्री एम.एस. श्रीवास्तव	उप सचिव वि.प्र. मेरठ
3)	श्री चन्द्र किरण सिंह	वरि. लेखाधिकारी वि.प्र. मेरठ
4)	श्री ओ.पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता वि.प्र. मेरठ।
5)	श्री भारत भूषण	वास्तुविद नियोजक, वि.प्र. मेरठ।

Agenda

Proceedings

मद संख्या 1- पिछली बैठक दिनांक

गत बैठक दिनांक 17.3.81 कर कार्यवाही प्रस्तुत

17.3.81 की कार्यवाही का पुष्टिकरण

की गई जिसकी सर्व-सम्मति से पुष्टिकरण की गई।

पद संख्या 2- पिछली बैठक दिनांक
17.3.81 के निर्णयों पर की गई कार्यवाही
और प्रगति का विवरण

सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रगति विवरण पत्र पर विचार
विमर्श किया गया तथा प्रत्येक प्रकरण के संबंध में स्थिति
इस प्रकार पायी गई

1) अनाधिकृत कालोनियों का नियमन

अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की प्रगति
की समीक्षा की गई। 79 अनाधिकृत कालोनियों में से 54
कालोनियों के तलपट मानचित्र प्राप्त हो गये हैं, जिनमें से
30 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। गत बैठकों
के समय नियमित कालोनियों संख्या मात्र 9 थी। इस प्रकार
मध्यवर्ती में 21 अन्य कालोनियों का नियमितीकरण किया
गया है। बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि
नियमितीकरण की प्रगति मन्द है जिसे और तेजी के साथ
किया जाये। सचिव ने विश्वास दिलाया कि 24 कालोनियों
के नियमितीकरण का कार्य एक माह के अन्दर समाप्त कर
दिया जायेगा क्योंकि गठित उप-समिति ने सभी कालोनियों
का निरीक्षण कर लिया है और केवल औपचारिक स्वीकृति
मय तलपट मानचित्र के जारी करनी शेष है। बैठक में यह
भी निर्देश दिया गया कि जिन 25 अनाधिकृत कालानियों के
तलपट मानचित्र प्राप्त नहीं हुये हैं उनसे भी तलपट मानचित्र
प्राप्त किये जायें और जैसे-जैसे तलपट मानचित्र प्राप्त होते
जायें, उन कालोनियों को नियमित किया जाता रहें। इस
सम्बन्ध में सचिव एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे और
उसे उपाध्यक्ष से स्वीकृत कराने के उपरान्त ऐसी के अनुसार
कार्यवाही करेंगे।

2) बौद्धनाड़ी के उपरान्त का
विवरण

अदालत में विचाराधीन अभियोगों की भी समीक्षा की गई। कुल दायर 219 मुकदमों में से 64 अभियोग निस्तारित हुये हैं जिसमें 49 अभियोग वापस लिये गये, 7 अभियोगों में अभ्युक्तों को सजा हुई और 8 अभियोगों में अभ्युक्त छूट गये। इस प्रकार 155 अभियोग अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। सचिव ने बताया कि इनके शीघ्र निस्तारण के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला जज से संमर्क किया गया। जिन मामलों में अभ्युक्त छूटे हैं उनकी असफलता पर बैठक में चिन्ता व्यक्त की गई तथा यह निदान दिया गया कि विफल अभियोगों का विश्लेषण किया जाये और यदि अभिवक्ता की लापरवाही के कारण अथवा किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण अभियोग विफल हुये हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

2) योजनाओं के सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण

क) मोहन पुरी योजना

प्रगति की समीक्षा की गई। यह निर्देश दिया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिये यथांसभव प्राधिकरण पंजीकरण के नियमों में ऐसा प्राविधान करें कि वह स्वयं वित्त-पोषित हो सके। इस नियमों में प्राविधान किया जा सकता है कि जिन्हें प्लाट मिला है उन्हें आंवटन के समय कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा जबकि जिन व्यक्तियों को प्लाट नहीं मिला हो, उन्हें ब्याज तब तक देय होगा जब तक उन्हें अन्य योजना में प्लाट आबंटित नहीं कर दिया जाये। कुछ भू-खण्डों के लिये इन नियमों में यह भी प्राविधान किया जा सकता है कि जो व्यक्ति विकसित भू-खण्ड का पूरा मूल्य आंवटन के समय देने को तैयार, हो उसे भू-खण्ड अवश्य दिया जायेगा। ऐसी दशा में पंजीकरण उपलब्ध भू-खण्डों अवश्य दिया जायेगा। ऐसी दशा में पंजीकरण

उपलब्ध भू-खण्डों की सीमा तक ही किया जा सकेगा।

(ख) भूमियापुल योजना

प्रगति की समीक्षा की गई। यह योजना मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय भवन उपलब्ध कराने की है। प्राधिकरण ने विचार विमर्श के बाद ये निर्देश दिये कि भविष्य में उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग की योजनाओं को स्वयं वित्त पोषित बनाया जाये।

(ज) ऐप्पम बास आवासीय योजना

(ग) मोदीपुरम आवासीय योजना

प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान तलपट मानचित्र भी देखा गया। तलपट मानचित्र में दर्शायी गयी हरित पट्टी में से 85% क्षेत्रफल हरित ही रखने तथा शेष 15% क्षेत्रफल में निर्दिष्ट सामूहिक उद्देश्यों के लिये भवन निर्मित करने का प्राविधान किया जाये।

(ग) जवाहर क्वाटर आवासीय योजना

प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने पर आगे कोई प्रगति नहीं हो सकी अतः यह निर्देश दिया गया कि अनुमति से पृथक-अधिवक्ता नियुक्त करके स्थगन आदेश शीघ्र समाप्त कराने के लिये कदम उठाये जायें।

(च) हापुड़ रोड आवासीय योजना

प्रगति की समीक्षा की गई और 'घ' प्रकरण के अनुसर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

(छ) उप-शिक्षा कार्यालय स्थल योजना

प्रगति की समीक्षा की गई। विचार विमर्श के उपरान्त ये निर्देश दिये गये कि जो भवन प्रथम चरण में वन

रहा है उसके लिये कार्यालय भवन की आवश्यकता हेतु आवेदन मांगे जायें। आवेदन माँगते समय यह प्राविधान किया जाये कि जो व्यक्ति अथवा संख्या एक वर्ष किराया अग्रिम देने को तैयार हो, उसके लिये इस भवन में स्थान आरक्षित कर दिया जायेगा। इस प्रकार जो धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग भवन निर्माण में हो सकता है तथा शेष के लिये “हड़को” से ऋण लिया जा सकता है।

(६) प्राविधिकरण द्वारा देखा दिया गया 30
८० में निर्धारित विकास युक्त के
दस्ते पर पुकार दिया गया

(ज) बेगम बाग आवासीय योजना

प्रगति की समीक्षा की गई और “घ” प्रकरण में दिये गये निर्देश के अनुसूप कार्य करने का निर्देश दिया गया।

(झ) नौचन्दी स्थल आवासीय योजना

प्रगति की समीक्षा की गई और यह निर्देश दिया कि अधिसूचना शीघ्र जारी कराने के लिये किसी अधिकारी लखनऊ भेजा जाये।

(३) प्राविधिकरण द्वारा 31.1.81 तक अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

प्रगति की समीक्षा की गई जिससे ज्ञात हुआ कि गत बैठक से अब तक केवल 44 मकानों को गिराने की कार्यवाही की गई है जबकि जिन मकानों को गिराने के आदेश जारी किये गये उनकी संख्या 617 हैं अध्यक्ष महोदय ने इस पर गहरी चिन्ता एवं असंतोष व्यक्त किया। अनाधिकृत निर्माणों को हटाने का कोर्य संवैच्य प्राथमिकता पर किया जाना चाहिये किन्तु खेद की बात है कि इस मामले में सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राविधिकरण के संवंधित अधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण काम की उपेक्षा की जा रही है। उपाध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वह उत्तर दायी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र उचित

कार्यवाही करें और दिसम्बर 1981 तक समस्त अनाधिकृत निर्माणों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

(4) प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 14.10. 80 में निर्धारित विकास शुल्क की दरों पर पुनः विचार

सचिव ने बताया कि विकास व्यय की दरों के अभिनवीकरण का प्रस्ताव पृथक रूप से इस बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(5) निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण

भुमियापुल योजना के अन्तर्गत किये गये विकास कार्य की समीक्षा की गई और यह निर्देश दिया कि काम में और तेजी लाने के लिये कुछ श्रमिक और बढ़ाये जायें।

अप शिक्षा निदेशक कार्यालय स्थल पर बनाये जाने वाले विकास भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई और यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में इसकी प्रगति का विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाये, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ट्रैमास में कितना लक्ष्य था और कितना निर्माण हो गया।

पंचायत भवन के निर्माण की समीक्षा करते यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में डिपाजिट कार्य प्राधिकरण नहीं करेगा।

मलिन बस्ती प्राधिकरण सुधार योजना के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया कि जिन 9 बस्तियों में सुधार योजना कार्यान्वित की जा चुकी है उनके अलावा अन्य मलिन बस्तियों की सूची बना ली जाये और उनके सुधार कार्य के

(7) संशोधित बजट वर्ष 1980-81 के बजट वर्ष 79-80
बजट वर्ष 81-82

लिये राज्य सरकार से अनुदान मांगा जाये। नगर में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक है अतः सभी मलिन बस्तियों में सुधार की योजना बनाई जाये।

(6) वर्ष 1980-81 के बजट के निर्धारण एवं 79-80 का तुलनपत्र।

गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष 1980-81 का संशोधित बजट प्रस्तुत किया गया, जो यथावत् पारित किया गया।

चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये वर्ष 76-77, 77-78 व 78-79 के तुलनपत्र प्रस्तुत किये गये। इन तुलन पत्रों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के समय चार्टेड एकाउण्टेन्ट श्री एस०पी० गोयल भी उपस्थित थे। उन्होने सुझाव दिया कि प्राधिकरण का लेखा “डबल एन्ट्री” के अनुकूल बनाया जाना चाहिये। इस प्रणाली को लागू करने के लिये स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, जो व्यापारिक ढंग से लेखा बनाने की जानकारी रखता हो। उन्होने यह मत भी प्रकट किया कि इस पद्धति को लागू करने में कम से कम ४ माह का समय लगेगा। विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि जिन संस्थाओं में यह पद्धति लागू है वहां स्टाफ भेजकर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाये और इस पद्धति को शीघ्रतिशीघ्र लागू किया जाये।

गत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुसार पांच वर्षों की योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण भी पटल पर प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन किया गया।

(7) संशोधित बजट वर्ष 80-81 व मूल
बजट वर्ष 81-82

गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संशोधित
बजट प्रस्तुत किया गया जो यथावत पारित कर दिया गया ।

मद संख्या 3- मेरठ नगर में विकास व्यय की
दरों का अभिनवीकरण ।

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी पर विचार-
विमर्श किया गया तथा उस टिप्पणी में उठाये गये प्रश्नों पर
भी व्यौरेवार विचार विमर्श किया गया ।

जहां तक नगरपालिका द्वारा विकसित पुराने क्षेत्र में
विकास व्यय लेने का प्रश्न है, यह विचार व्यक्त किया गया
कि नगर में सौन्दर्यकरण की विभिन्न योजनाओं को लागू
करने के लिये एक विकास निधि बनाने की आवश्यकता है ।
इस निधि में उनका भी योगदान होना चाहिये जो इस समय
विकसित क्षेत्र में रह रहे हैं । अतः यह निर्णय लिया गया कि
नगर पालिका द्वारा विकसित पुराने क्षेत्र में विकास व्यय
लिया जाना चाहिये ।

इस प्रसंग में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका की
ओर से यह बात कहीं गई कि नगरपालिका के विकसित क्षेत्र
में वसूल किया गया विकास व्यय नगरपालिका को मिलना
चाहिये । सचिव ने बताया कि विकास व्यय नयी सुविधाओं
का काम प्राधिकरण को ही करना होगा जबकि नगरपालिका
का कार्य वर्तमान सुविधाओं का रख-रखाव करना है, ऐसी
स्थिति में विकास व्यय का हस्तान्तरण करना उचित नहीं है ।
अन्त में यह निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों में क्या
परिपाटी हैं । इसका पता लगाया जाये ।

जहां तक सरकारी संस्थाओं जैसे यू०पी०

एस०आई०, डी०सी०/यू०पी०एस०आई०सी०/उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में विकास व्यय लेने का प्रश्न है उपर्युक्त तर्क के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र मानते हुये विकास व्यय लिया जाये ।

जहां तक निजी संस्थाओं जैसे-सहकारी आवास समिति-निजी कंपनी द्वारा विकसित क्षेत्रों में विकास व्यय लेने का सवाल है, उपर्युक्त तर्क के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इन संस्थानों द्वारा विकसित क्षेत्रों में भी विकसित क्षेत्र वाली दर पर विकास व्यय लिया जाये ।

जहां तक आन्तरिक विकास व्यय की दर में बाह्य विकास के व्यय को ध्यान में रखते हुये विकास के व्यय को ध्यान में रखते हुये वृद्धि करने का प्रश्न है विचार विमर्श के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि यद्यपि बाहरी विकास के लिये अतिरिक्त व्यय लेना उचित है तथापि फिलहाल इसे लागू न किया जाये क्योंकि प्राधिकरण ने विकास व्यय की बढ़ी हुई दरें हाल ही में लागू की हैं । प्राधिकरण विकास व्यय से नगर में पहले कुछ विकास कार्य संपादित करा ले तब इस मामले को प्राधिकरण के सामने पुनः लाया जाये ।

जहां तक औद्योगिक भवनों के लिये मानचित्र पास करते समय भू-खण्ड क्षेत्रफल के स्थान पर अच्छादित क्षेत्रफल पर विकास व्यय लेने का प्रश्न है, विचार- विमर्श के

उपरान्त यह तय हुआ कि अविकसित क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भू-खण्ड क्षेत्रफल पर विकास व्यय लिया जाये। नगरपालिका क्षेत्रफल के बाहर के बजाय आच्छादित क्षेत्र के बाहर अविकसित क्षेत्र के लिये तदर्थ रूप में निर्धारित आधी दर पर विकासव्यय वसूल करने का निर्णय जो गत बैठक में लिया गया था, अब निरस्त समझा जायेगा। इसमें प्रतिबन्ध यह रहेगा कि शेष क्षेत्र में भू-रूवामी द्वारा कोई निर्माण प्राधिकरण की बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप कार्यवाही लागू कर दी जाये।

मद संख्या 4 - प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी आवासीय समितियों के लिये अविकसित भूमि के आरक्षण की व्यवस्था।

विचार विमर्श के दौरान शासनादेश संख्या 110/37-2-41 अ0श0/17 दिनांक 6-5-1976 प्रस्तुत शासनादेश में निहित नीति के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 5 - विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भू-खण्डों/भवनों के आवंटन के लिये बनाये गये उप-नियमों की स्वीकृति-

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी के प्रकाश में पटल पर प्रस्तुत नियमावली का प्रारूप देखा गया। इन उप-नियमों को इस निर्देश के साथ स्वीकृत दी गई कि भू-खण्ड के वितरण की नियमावली यथा सम्भव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की नियमावली के अनुरूप रखी जायेगी। यह भी निर्देश दिया गया कि भू-खण्ड की पात्रता में यह निर्धारण कर दिया जायेगा कि उ0प्र0 या उसके बाहर कहीं भी एक से अधिक भू-खण्ड/ भवन न हो। व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में नीलामी की पद्धति अपनायी जायेगी, जिसमें शासन की नीति के अनुरूप आरक्षण का ध्यान रखा

जायेगा।

मद संख्या 6 - उ०प० नगर नियोजन एवं

विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57/एच किया गया और इसे निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया के अन्तर्गत नक्शों तथा अन्य अभिलेखों के गया ‘निरीक्षण तथा प्रतिलिपि के लिये शुल्क’ निम्नलिखित निरीक्षण एवं प्रतिलिपि देने के लिये उप दर पर लिया जायेगा।

नियमों की स्वीकृति

पटल पर प्रस्तुत किये गये उप- नियमों पर विचार किया गया और इसे निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया निरीक्षण एवं प्रतिलिपि देने के लिये उप दर पर लिया जायेगा।

1. प्रतिलिपि शुल्क-प्रति प्रतिलिपि रु05/-

2. निरीक्षण शुल्क-प्रति प्रतिलिपि । पंजिका रु03/- प्रति घन्टा

3. प्रलेख की जानकारी प्राप्त करने हेतु शुल्क रु0 1/- प्रति प्रलेख

4. यदि प्रलेख भवन/तलपट मानचित्र की प्रतिलिपि का प्रमाणीकरण रु0 5/- प्रति प्रतिलिपि

5. प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र की प्रतिलिपि (फैरो/अमोनिया प्रिन्ट पर) रु0 20/- प्रति वर्ग मीटर तथा न्यूनतम रु0 5/-

6. स्वीकृत भवन/तलपट मानचित्र को ट्रेस कराकर फैरो/अमोनिया प्रिन्ट पर प्रतिलिपि उपलब्ध कराना -

रु0 50/- प्रति वर्ग मीटर तथा न्यूनतम रु0 20/-

मद संख्या 7 - उ0प्र0 नगर नियोजन एवं

विकास अधिनियम 1973 की धारा 57 की उप - विधियां यथार्त स्वीकृत की गई।

उपधारा ड.ड. के अन्तर्गत मुख्य सङ्को से

संसक्त भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण व

सुधार के संबंध में उप विधियों की स्वीकृति

विचार विमर्श के उपरान्त पटल पर प्रस्तुत की गई

मद संख्या 8 - महायोजना में हैरित पट्टी

को विकसित करने तथा मार्गों को हरा भरा रखने के सम्बन्ध में विचार

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नगरपालिका के जो पार्क हैं उनके रखरखाव एवं विकास का कार्यक्रम नगरपालिका द्वारा बनाया और कार्य प्रारम्भ किया जाये। महा योजना में प्राविधानिक हैरित पट्टी जा के अधिग्रहण का नोटिस दिया जाये कि वे उस भूमि का प्रयोग किसी और उद्देश्य के लिये नहीं करेंगे।

मद संख्या 9 - मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत

विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका द्वारा

संयुक्त सर्वेक्षण कराने के बाद नगरपालिका

विकास प्राधिकरण, स्वैच्छक संस्थाओं तथा

अन्य सोतों के सहयोग से नगर के सौन्दर्य

करण के प्रस्ताव की स्वीकृति।

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी पर विचार विमर्श

हुआ और प्रस्तावित समिति गठित करने की स्वीकृति दी

गई। इस संबंध में उपाध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वे

सभी संस्थाओं/निकायों के सहयोग से नगर का सौन्दर्योकरण

शीघ्र आरम्भ करायें।

मद संख्या 10 - मेरठ क्षेत्र नालों तथा अन्य

पर्यावरण संबंधी सुधार कार्यों के संबंध में

नगरपालिका, मेरठ व विकास प्राधिकरण,

मेरठ द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के प्रस्ताव की

उपाध्यक्ष ने बताया कि इस विषय पर विचार करने

के लिये नगरपालिका के तत्वानधार में दिनांक 27.08.31

वातावरण को अच्छा बनाने पर विचार किया जायेगा तथा

स्वीकृति

जिन जिन मामलों में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने की अपेक्षा होगी उनमें प्राधिकरण से कार्यवाही करा ली जायेगी। उपाध्यक्ष को सुझाव दिया गया कि इस विषय में शिविर पालिका, मेरठ व जल निगम को भी योजना बनाने में सम्मिलित किया जायेगा और विशेषज्ञों की राय से योजना बनाई जाये।

समय : 10-30 अप्रैल

स्थान : कार्यालय प्राधिकरण मेरठ महादेव

उपस्थिति -

मद संख्या 11 - सूरजकुण्ड के सौदर्यकरण पर विचार।

1. श्री अर्पण शर्मा
शिविर
प्राधिकरण
2. श्री अर्पण
प्राधिकरण
प्रभारी
3. श्री अर्पण शर्मा
समिति सदस्य
मुख्यमन्त्री प्राधिकरण
सदस्य
4. श्री माहा नाथ

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी पर विचार किया गया। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि पहले उपाध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें नगरपालिका, प्राधिकरण, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति सदस्य बनाये जायें। यही समिति सूरज कुण्ड पर पर्यटन स्थल के विकास के लिये विस्तार से विचार करें और कार्यक्रम निर्धारित करें।

मद संख्या 12 - अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

5. श्री अर्पण शर्मा
प्रभारी प्राधिकरण
कार्यालय महोदय

शून्य

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गई।

6. श्री अर्पण शर्मा
प्रभारी प्राधिकरण
कार्यालय महोदय

₹0/-

7. श्री अर्पण शर्मा
प्रभारी प्राधिकरण
कार्यालय महोदय

अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

8. श्री अर्पण शर्मा
प्रभारी प्राधिकरण
कार्यालय महोदय